**कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स (परिवहन एवं आयुध इकाई)**
चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
पत्र संख्याः–लॉजि0–दस–55–2017(1) दिनांकः–जून ,20 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस घुडसवार पुलिस सेवा नियमावली–2016 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्न मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस को उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के पद पर उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्य–डीजी–चार–110(127)/2016 दिनांक 19.06.2018 द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त इन्हें तात्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–

| क0सं0 | पी0एन0ओ0 | कर्मचारी का नाम | पिता का नाम | जनपद/इकाई | परिक्षेत्र/अनुभाग | चयन वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 802512640 | कन्हैया लाल | इन्दल सिंह | मेरठ | मेरठ | 2016 |
| 2 | 782510979 | राज सिंह | सिया राम सिंह | मेरठ | मेरठ | 2016 |

2– पदोन्नति पाये उपनिरीक्षक, घुडसवार पुलिस अपने नियुक्ति स्थान जनपद के मुख्यालय पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली–2016 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें। पदोन्नति पाये उप निरीक्षक घुडसवार पुलिस की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश पारित किये जायेंगें।

3– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित मुख्य आरक्षी सवार पुलिस से संलग्न पारूप–''क'' में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28.05.97 के खण्ड –2 में दी 03 परिस्थितियां यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है (ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग)यदि अपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस उपरोक्त के विरूद्ध विद्यमान नहीं हो।

4– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उपयुक्त प्रस्तर–3 में अंकित परिथितियां विद्यमान नहीं हैं तो उपरोक्त मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस को उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान पायी जाती है तो ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

2/

5– यदि संबंधित मुख्य आरक्षी घुडवार पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में उनके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है सथा ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाये।

6– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर लॉजिस्टिक्स इकाई के सरकुलर में अपलोड कर दिया गया है।

( डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार )
अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन, मेरठ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद–मेरठ।

प्रारूप–'क'

## स्वघोषणा–पत्र

मैं,—————————————(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र————————————— निवासी————————————— थाना——————————जनपद——————— वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)———————————— नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि :–

"मेरे विरुद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की(दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2. उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3. यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्णरूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्णरूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की(दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0न्यायालय में विचाराधीन है, अथवा निलंम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण ———

(2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:———— को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0———— धारा———— थाना ———— जनपद———— में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी———— द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में————स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।